अध्यक्ष महोदय : क्या एन्फोर्समेंट ब्रांच ने ज्योतिषी के घर छापा मारा ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं ।

श्री मधु लिमये : जब छापा मारा जाता है तो कई लोगों के घरों में जाते हैं जांच करने के लिए, यही तरीका होता है, आप उनसे पूछ लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं पूछ सकता कि अगर यह छापा नहीं मारा गया तो क्या कोई और छापा मारा गया, यह सवाल मैं पूछूं । इस को मैं डिसएलाऊ करता हूं । और कोई सवाल करेंगे ?

श्री मधु लिमये : क्या इस सम्बन्ध में जो छापे मारे गए थे उनमें गृह मंत्रालय के द्वारा अनुचित ढंग से हस्तक्षेप हुआ था नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत जनरल क्वेश्चन है कि जितने छापे मारे गए सबके बारे में बतलायें ।

Shri H. N. Mukerjee: Was there a plan on the part of the Enforcement people to raid the residence of an allegedly well known astrologer in Delhi, and was any Government agency responsible for preventing that raid from having taken place?

Mr. Speaker: That question can be put.

Shri B. R. Bhagat: There was no plan to raid his house, and, so, the question of preventing it does not arise.

Mr. Speaker: Then again, this would arise that....

श्री मधु लिमये : इस से यही पता चलता है कि कोई ज्योतिषी इनके ध्यान में है ।

Shri Daji: Was any firm called Chamanlals raided by the Enforcement Department in Delhi?

Mr. Speaker: When?

Shri Daji: Last year; during the course of the last year.

Mr. Speaker: There ought to be some specified period and then the question can be put whether any firm was raided during that period in Delhi.

Shri Daji: I have given the name of the firm as Chamanlals.

Mr. Speaker: Was the firm of Chamanlal raided during the last year?

Shri B. R. Bhagat: Yes.

श्री किशन पटनायक : क्या यह सही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से इस छापा मारने की कार्यवाही में दखल दिया गया था और यह कहा गया था कि चमन लाल के बारे में यह कहा जाय कि उन्होंने वालंटेरिली अपनी अनएकाउंटेड मनी का डिक्लेरेशन किया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसी बात हुई थी ? जो छापा चमन लाल के आफिस में या कहीं मारा गया था उसमें क्या गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया था कि वह यह बयान दें कि उन्होंने वालंटरिली डिक्लेयर किया है ?

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास कोई इसकी इत्तला नहीं है ।

बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता

+

*181. **श्री हुकम चन्द कछवाय** :
श्री बड़े :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों को बिना रसीद पेश किए उनके वेतन के साथ उन्हें प्रतिमास बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता मिल रहा है जब कि कुछ अन्य सरकारी कर्मचारियों को ट्यूशन फीस की रसीद प्रस्तुत करने के तीन मास पश्चात ट्यूशन फीस के पैसे दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसको क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) शिक्षा भत्ता नियत दरों पर हर महीने दिया जाता है । पढ़ाई की फीस की वापसी हर तीसरे महीने की जाती है । सहायता की ये अलग-अलग दो योजनाएं हैं ।

(ख) बच्चों की शिक्षा के लिए दिए जाने वाले भत्ते के विपरीत, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा वर्ष में दो बार दिये जाने वाले प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियत दर से दिया जाता है, पढ़ाई की फीस की वापसी की योजना के अन्तर्गत वास्तव में उसी फीस की वापसी की जाती है, जो वास्तव में दी गयी हो । इस कारण, अदायगी करने से पहले मुनासिब जांच करने की आवश्यकता होती है । अनावश्यक काम से बचने के लिए वापसी हर महीने न कर के हर तिमाही की जाती है ।

Shri Dinen Bhattacharya: I would request that the answer may be given in English also.

Mr. Speaker: The hon. Member could have heard the simultaneous translation in English.

Shri Dinen Bhattacharya: We could not follow the translation.

Shri Shinkre: I support this demand, because sometimes the headphones at our tables do not work. For instance, the one before me just now does not work. I could not follow the Hindi of the Deputy Minister either.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बच्चों को शिक्षा की सहायता दी जाती है क्या यह जिस प्रकार से ऊंचे दर्जे के जो अफसर लोग हैं उन को दी जाती है उसी प्रकार जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं उनके बच्चों पर ही लागू होती है या इन दोनों में कोई अन्तर है ?

श्री ल० ना० मिश्र : दोनों में है । ऊंचे कर्मचारियों को बहुत नहीं दिया जाता है । मैं बताऊं कि जिनको तनख्वाह 350 रुपये से कम मिलती है जो 349 रुपये तक तनख्वाह लेते है, तीन वर्ष तक की नौकरी होती है, उनके प्राईमरी क्लास के हर बच्चे के लि 10 रुपया प्रतिमास मिलता है, सैकेंडरी और हाई स्कूल के हर एक बच्चे के लिए 15 रुपये मिलता है । चिल्ड्रन एजूकेशन एलाउंस जो कि फिक्सड रैट पर गवर्नमेंट्स सर्वेंट्स को सर्टिफिकेट फरनिस करने पर साल में दो मर्तबा दिया जाता है जिनकी तनख्वाह 600 रुपये तक होती है उनको यह मिलता है । रिइम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीज की स्कीम है जिसके कि मातहत रसीद देने पर तीन-तीन महीने पर रिइम्बर्समेंट ऑफ फीज होता है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : फोर्थ क्लास के बच्चों के लिए उन्होंने नहीं बताया ।

श्री ल० ना० मिश्र : मैं ने प्राईमरी कहा तो अर्थात् एक से चार तक ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : ऐसे भी केन्द्रीय सरकार के मातहत काम करने वाले कुछ कर्मचारी हैं जिनके कि बच्चों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है तथा कर्मचारियों की मत्यु होने के बाद उस के बच्चों को वह सहायता जो कि ऊपर के लोगों को दी जाती है वह छोटे लोगों को नहीं दी जाती है, क्या यह बात सही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं । कुछ शर्तें हैं जैसे उनकी तीन वर्ष की नौकरी होनी चाहिए, तनख्वाह 350 के नीचे होनी चाहिए, चाहे 600 होनी चाहिए, हो सकता है कि उससे ऊपर तनख्वाह पाने वालों को वह सहायता न मिले या मृत्यु की वजह से सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो उस के बाद शायद नहीं मिलती होगी ।

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि अध्यापकों के बच्चों को जो ट्यूशन फीस दी जाती

है, स्कालरशिप दिया जाता है उस के वास्ते उन से एडवांस में रसीद नहीं ली जाती है लेकिन छोटे कर्मचारियों के बच्चों को स्कालरशिप देने के लिये ऐडवांस में रसीद लेते हैं और उस पर भी एक-एक साल तक उनको पैसा नहीं मिलता है ? क्या आप के पास और स्टेट मिनिस्टर्स के पास ऐसी शिकायतें आई हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक एजूकेशनल एलाउंस का सवाल है हर महीने तनख्वाह के साथ वह चला जाता है । चार बच्चे हैं तो इस तरह से चालीस रुपया तनख्वाह के साथ जाता है और यह मिल जाता है और उसमें रसीद की कोई आवश्यकता नहीं है । उन को हर छै महीने पर एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि उनके बच्चे पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं और उन की उम्र क्या है । बाकी एक आदमी को 50 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता है, इस लिए छोटे अफसर और बड़े अफसर की बात इस में नहीं आती है ।

श्री काशी राम गुप्त : वर्तमान योजना में यह त्रुटि है कि अधिकतर जो गरीब लोग है, गरीब सरकारी कर्मचारी हैं उनके जब अधिक बच्चे होते हैं तो उन के 1 या 2 बच्चों को ही यह एलाउंस मिल पाता है, । आठवीं जमात तक वह जाने की कोशिश करते हैं उस के ऊपर नहीं जाते इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना में ऐसे परिवर्तन लायेंगे जिससे कि उन के जो अधिक बच्चे हैं उन के सब बच्चों को यह सहायता मिल सके ?

श्री ल० ना० मिश्र : बच्चों की संख्या पर कोई रोक नहीं है । 5 बच्चे हैं 6 बच्चे हैं उन सब को सहायता मिलेगी लेकिन 50 रुपए से ज्यादा एक आदमी को नहीं मिलेंगे ।

श्री काशी राम गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आठवीं जमात वालों से नीचे वालों को ही यह मिलता है लेकिन नवीं और दसवीं वालों को कुछ भी सहायता नहीं दी जाती है ।

श्री ल० ना० मिश्र : सैकेंडरी व हाई स्कूल के बच्चों को भी हम देते हैं ।

लेखन सामग्री पर व्यय

*182. **श्री हा० ना० तिवारी** : क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेखन सामग्री तथा कार्यालयों में प्रयुक्त अन्य सामान पर खर्च दिन पर दिन तेजी से बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगत) : (क) सरकार के बढ़ते हुए कामों के साथ स्टेशनरी का खर्चा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है ; स्टेशनरी के अलावा दफ्तर का और सामान खुद वे ही खरीदते हैं और वे किस तरह खर्चा करते हैं इसकी जानकारी मेरे मंत्रालय को नहीं ।

(ख) बचत के लिए ये तरीके अपनाये गये हैं :—

(1) 1958 के सभी इन्डेन्टर्स पर 15 फीसदी बचत कटौती लागू की गयी थी । 1960 में इसे 20 फीसदी तक बढ़ा दिया गया परन्तु, 1962 में जब ऐमरजैन्सी की घोषणा हुई तो उन डिफेंस इन्डेन्टर्स पर यह कटौती हटा दी गयी ।

(2) प्रकाशनों, पत्रों, फार्मों आदि की छपाई की जांच पड़ताल करने के लिए एक डिपार्टमेंटल